भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 875

07 फरवरी, 2024 के लिए प्रश्न

एफसीआई को सुदृढ़ बनाना

875. श्री रामदास तडस:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को और सुदृढ़ बनाने के लिए कोई नई योजना बनाई जा रही है और इस प्रयोजनार्थ कोई समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति द्वारा की गई मुख्य टिप्पणियां और संस्तुतियां क्या हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम को सुचारू बनाने और खाद्यान्नों के लीकेज और नुकसान को रोकने में इसे और अधिक कार्यक्षम बनाने के लिए अन्य क्या विभिन्न कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) से (ग): आधुनिकीकरण और सुधारों के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को सशक्त करना एक अविरल और सतत प्रक्रिया है। एफसीआई को सुव्यवस्थित करने और खाद्यान्न के नुकसान एवं रिसाव को रोकने हेतु इसे और अधिक कार्यक्षम बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

*****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 07.02.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं.875 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

डिजिटल रूपांतरण

• किसानों को पारदर्शिता और त्वरित सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए देश भर में खाद्यान्न खरीद प्रचालनों को कंप्यूटरीकृत किया गया है।

• सभी किसानों को सीधे ऑनलाइन भुगतान सुनिश्चित करते हुए डीबीटी के माध्यम से एक राष्ट्र, एक एमएसपी लागू किया गया है।

• ई-ऑफिस और डिपो ऑनलाइन सिस्टम (डीओएस) के क्रियान्वयन के माध्यम से संगठन के कुल वर्कफ़्लो को डिजिटीकृत कर दिया गया है।

• चावल की सुपुर्दगी के लिए चावल मिलों को डिपो से जोड़ने और निजी गोदामों में जगह के आवंटन को डिजिटीकृत कर दिया गया है, ताकि खरीद प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

• खाद्यान्न ले जाने वाले ट्रकों की रियल टाइम ट्रैकिंग सुनिश्चित करते हुए वाहन स्थान ट्रैकिंग प्रणाली (वीएलटीएस) लागू कर दी गई है।

भंडारण सुविधाओं का मानकीकरण और आधुनिकीकरण

• भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा एफसीआई के 556 भांडागारों का तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया गया था। तदनुसार, गोदामों के उन्नयन के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई थी। एफसीआई के स्वयं के 479 डिपो को 5 सितारा और उससे ऊपर की श्रेणी में अपग्रेड किया गया है।

• 180 लाख टन की कवर्ड और प्लिंथ (सीएपी) भंडारण को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया है।

• निजी भागीदारी पद्दति (पीपीपी) के तहत साइलो का निर्माण।

• भांडागारण विकास नियमन प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) प्रमाणन-एफसीआई के स्वयं के गोदामों को मानकीकृत करने के लिए, डब्ल्यूडीआरए से एफसीआई के 552 गोदामों का प्रमाणीकरण प्राप्त किया गया है।

• बफर स्टॉक को हर समय अच्छी स्थिति में रखने के लिए सभी खाद्य भंडारण गोदामों को बीआईएस/सीपीडब्ल्यूडी विनिर्देशों पर डिजाइन किया गया है।

शिकायत निवारण तंत्र

• आंतरिक हितधारकों के मुद्दों का समाधान करने के लिए व्हिसल ब्लोअर नीति बनाई और प्रचालित की गई।

• सभी बाहरी हितधारकों की शिकायतों का समाधान के लिए समर्पित कॉल सेंटर स्थापित किया गया है।

.....2/-

प्रचालनात्मक सुधार

• देश भर में विभागीकृत श्रम को तर्कसंगत बनाया गया, जिससे लगभग 600 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत हुई।

• प्रचालनात्मक हानि में निम्नानुसार काफी कमी लायी गई:

क. चावल में भंडारण हानि 2013-14 में 0.39% से घटकर 2022-23 में 0.10% हो गई।

ख. चावल में पारगमन हानि 2013-14 में 0.58% से घटकर 2022-23 में 0.26% हो गई।

ग. गेहूं में पारगमन हानि 2013-14 में 0.35% से घटकर 2022-23 में 0.17% हो गई।

• चावल के पुनर्चक्रण के खतरे से निपटने के लिए एक रसायन आधारित समाधान विकसित किया गया।

• गोदाम प्रचालनों का मशीनीकरण- नए अनुबंधों के लिए अनिवार्य मशीनीकृत प्रबंधन का प्रावधान दिनांक 11.04.2023 से शुरू किया गया था, ताकि प्रचालनों के नवाचार और आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित किया जा सके।

भंडारण हानियों को कम करने के लिए किये गये उपाय

• खाद्यान्न भंडार को कीटों/संक्रमणों से मुक्त रखने अर्थात जैविक कारकों के कारण होने वाले हानि को कम करने के लिए समय-समय पर रोगनिरोधी और उपचारात्मक उपचार किया जाता है।

• उच्च भंडारण हानि प्रदर्शित करने वाले डिपो का ईडी (जोन), जीएम (क्षेत्र) और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है।

• बेहतर निगरानी और देखरेख के लिए स्वयं के डिपो में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

• गोदामों को सुरक्षित करने के लिए चाहरदीवारी पर कंटीले तारों की बाड़ लगाना, गोदामों की रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट का प्रावधान और शेडों को उचित तरीके से बंद करना जैसे वास्तविक उपाय किए जाते हैं।

• एफसीआई डिपो में स्टॉक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एफसीआई, होम गार्ड और अन्य बाहरी एजेंसियों के सुरक्षा कर्मचारियों को तैनात किया जा रहा है।

• उचित जांच के बाद जहां भी असामान्य/अनुचित हानि की सूचना मिलती है, वहां दोषियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है।

पारगमन हानियों (टीएल) को कम करने के लिए किए गए उपाय

• नियमित अंतराल पर मुख्यालय/जोन/क्षेत्र/जिला स्तर पर अत्यधिक पारगमन हानियों की जांच। इसके अलावा, जिम्मेदारी तय करने के लिए अत्यधिक पारगमन हानि के मामलों का संयुक्त सत्यापन (जेवी) किया जाता है। संयुक्त सत्यापन (जेवी) के लिए टीएल की निचली सीमा 1% से घटाकर 0.75% और इसके आगे दिनांक 01.10.2022 से 0.50% कर दी गई है।

.....3/-

• बिखरे हुए अनाज को प्राप्त करने के लिए रेलवे वैगनों के फर्श पर पॉलिथीन शीट बिछाना।

• दिनांक 01.01.2022 से रास्ते में टेंपरिंग/चोरी से बचने के लिए खाद्यान्नों की लोडिंग के समय वैगनों पर उच्च सुरक्षा केबल सील लगाना। इससे असामान्य पारगमन हानि अर्थात 0.5% से अधिक रिपोर्ट करने वाले रेकों की संख्या में 92% की कमी आई है।

• रेलवे स्टेशन पर एकत्रित मेड-अप बैगों का हिसाब-किताब किया जा रहा है।

• लोडिंग/अनलोडिंग के समय स्वतंत्र कंसाइनमेंट सर्टिफिकेशन स्क्वाड (आईसीसीएस) की तैनाती।

• पारगमन के दौरान क्षति से बचने के लिए खाद्यान्नों की आवाजाही हेतु केवल ढके हुए रेल वैगनों का उपयोग किया जाता है।

खाद्यान्न की बर्बादी रोकने के लिए एफसीआई द्वारा उठाए गए अतिरिक्त कदम

- भंडारण पद्धतियों की उचित वैज्ञानिक संहिता अपनाते हुए खाद्यान्नों का भंडारण किया जाता है।
- खाद्यान्नों में फर्श से नमी आने से रोकने के लिए पर्याप्त डनेज सामग्री जैसे लकड़ी की क्रेटों, बांस की चटाइयों, पॉलीथीन की चद्दरों का उपयोग किया जाता है।
- सभी गोदामों में रखे अनाज में कीड़ों के नियंत्रण के लिए प्रधूमन कवर, नॉइलान की रस्सियाँ, जाल और कीटनाशक प्रदान किए जाते हैं।
- प्रभावी मूषक नियंत्रक उपाय किए जाते हैं।
- खाद्यान्नों के स्थिति की निगरानी के लिए योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्टॉक/गोदामों का नियमित आवधिक निरीक्षण किया जाता है।
- गोदामों में खाद्यान्नों के लंबे समय तक भंडारण से बचने के लिए "फर्स्ट इन फर्स्ट आउट" (फीफो) के सिद्धांत का पालन किया जाता है।
- स्टॉक के गुणवत्ता की नियमित निगरानी करने और नुकसान को कम करने के लिए जिला, क्षेत्रीय और अंचल स्तरों पर नुकसान निगरानी कक्ष स्थापित किए गए हैं।
- छत पर सभी रिसाव बिंदुओं की पहचान और मरम्मत समय-समय पर की जाती है।
- गोदाम परिसर में नालियों की समय-समय पर सफाई।
- यह सुनिश्चित करना कि गोदामों में पानी का रिसाव और जमाव न होने पाए।
- एसीसी शीटों के टूटने-फूटने के कारण हुए रिसाव को रोकने के लिए गोदामों की छत की पुरानी एस्बेस्टस शीट को कलर कोटेड प्रोफाइल शीट में बदलना। इसके अलावा, नए निर्माणाधीन गोदामों का निर्माण ट्रस-लेस शीट छत के साथ किया जा रहा है, जिससे खाद्य पदार्थों के ढेर की ऊंचाई बढ़ाकर भंडारण क्षमता बढ़ाने का अतिरिक्त लाभ मिला है।
- बेहतर भंडारण स्थितियों के लिए गोदाम के कंपार्टमेंट में ताजी हवा का प्रवाह बनाने के लिए गोदामों में टर्बो-वेंटिलेटर लगाना।

*****